# पं. देवी प्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय साजा
## जिला- बेमेतरा (छ. ग.)
### विवरणिका
### सत्र - 2021 - 2022

**महाविद्यालय का संक्षिप्त इतिहास –**

बेमेतरा जिला अंतर्गत साजा तहसील मुख्यालय में स्थित इस महाविद्यालय की स्थापना अगस्त सन् 1989 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा उच्च शिक्षा को सुदूर अंचलों तक प्रसारित करने की सुविचारित नीति के तहत की गई थी। स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त तीन खण्डों एवं करीब सात कमरों के भवन को इस हेतु उपलब्ध कराया गया था। इस अंचल के लोकप्रिय जन नेता स्व. श्री देवी प्रसाद चौबे द्वारा इस अंचल को दी गई। उनकी सुदीर्घ सेवाओं की स्मृति में यह महाविद्यालय उन्हीं के नाम समर्पित हैं। महाविद्यालय की स्थापना में साजा विधान सभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री रविन्द्रचौबे, सामान्य प्रशासन जनसंपर्क, जनशिकायत राज्य मंत्री मध्यप्रदेश शासन के प्रयास विशेष उल्लेखनीय है।

इस महाविद्यालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के विषयों का अध्यापन कराया जाता है। समस्त अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे अपना मूल्यवान समय पढ़ाई में लगावें ताकि वे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर भारत वर्ष की सेवा कर सके एवं स्वयं गौरंवान्वित हो एवं महाविद्यालय का नाम रौशन हो। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण आपकी समस्त समस्याओं को सुलझाने में अपना सहयोग देंगे एवं छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे स्वरूचि से अपनी समस्यायें प्राध्यापकगणों से सांझा करें।

प्राचार्य
**पं. देवी प्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय**
**साजा**

**अध्यापन व्यवस्था –**

महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों के अध्यापन की व्यवस्था है।

**कला संकाय –**

1. बी. ए. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

(अ) अनिवार्य विषय– आधार पाठ्यक्रम के दोनों घटक हिन्दी भाषा व अंग्रेजी भाषा।

(ब) वैकल्पिक विषय– निम्न पांच में से कुल तीन विषय का चयन करना है।

1. समाजशास्त्र अथवा इतिहास।
2. राजनीति शास्त्र अथवा गृह विज्ञान
3. अर्थशास्त्र
4. भूगोल

2. एम. ए. पूर्व एवं अंतिम हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र।
3. एम. ए. पूर्व एवं अंतिम राजनीति शास्त्र
4. एम. ए. पूर्व एवं अंतिम अर्थशास्त्र

**वाणिज्य संकाय–**

बी. कॉम. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय।

अनिवार्य विषय– आधार पाठ्यक्रम के दोनों घटक तथा सभी अनिवार्य विषय।

एम. कॉम. पूर्व एवं अंतिम।

**विज्ञान संकाय–**

बी. एस. सी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष।

1. रसायन, भौतिक, जन्तु, गणित एवं वनस्पति शास्त्र, आधार पाठ्यक्रम।

## 2.00 शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ 16 जून 2021 से होगा।

कला एवं वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों की कक्षाएं प्रातः 10.30 से सायं 5.30 तक संचालित की जायेंगी।

## 3.00 प्रवेश

**प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना –**

प्रवेशार्थी को प्रवेश आवेदन पत्र क्रय करने के पश्चात समस्त प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति सहित निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा करना होगा। विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा अंकसूची प्राप्त न होने की स्थिति में अपनी पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित पत्र से बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे।

3.01 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि –**

**स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे।** परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 तक जो भी पहले हो, मान्य होगा। कंडिका 6 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावेगा। किन्तु इसके लिए अभिभावक द्वारा – कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक का, प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही प्रवेश दिया जावेगा।

3.02 **पूनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए छात्रों की प्रवेश की अंतिम तिथि –**

पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिनों तक कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम (प्रावीण्यता) में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी।

3.03 **पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों हेतु प्रवेश की अंतिम तिथि –**

स्नातक स्तर भाग 2 एवं भाग 3 में प्रवेश हेतु स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी।

3.04 **प्रवेश सूची –**

(क) प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत सहित सूचना पटल पर लगाई जावेगी। जिसमें प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि का भी उल्लेख होगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

(ख) प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण-पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किए जाने एवं जहां आवश्यक हो स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूलप्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जावेगी।

(ग) निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को आवश्यक रूप से निरस्त की सील लगाकर उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

(घ) **स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा।** स्थानान्तरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटस्थ पुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज किया जाना चाहिए। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जासकता है। इस हेतु विद्यार्थी वे वचन पत्र लिया जाएगा।

(ङ) प्राचार्य स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़-फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसी गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

(च) घोषित प्रवेश सूची की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त विलंब शुल्क 100/- लिया जावेगा।

**3.05 प्रवेश की पात्रता -**

**(I)** छत्तीसगढ़ के मूल/छ. ग. में संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी-जिसका पदांकन छ. ग. में हो- उनके पुत्र/पुत्रियों, जम्मू कश्मीर के विस्थापितों उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उक्त प्रकार से प्रवेश देने के बाद भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड पर अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(II) किसी भी संकाय से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। 10+2 परीक्षा का तात्पर्य छ. ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों के इंटरमीडियेट बोर्ड के समकक्ष परीक्षा से है।

(III) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, सी.बी.एस.ई. की 10+2 परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडिल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

**(IV)** अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं सैद्धांतिक विषयों में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक सीमा केवल प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ही है। अगली कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा लागू नहीं होगी।

(V) **आयु सीमाः** स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में **22 वर्ष** एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में **27 वर्ष से** कम आयु होना आवश्यक है। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी।

**(VI)** अ. जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग/विकलांग/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छुट रहेगी।

**(VII)** **बाह्य आवेदकों का प्रवेश-** स्नातक स्तर तक एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम या द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध

विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों, विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के बाद ही नियमित प्रवेश दिया जावेगा। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को भी पात्रता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

(VIII) **अस्थायी प्रवेश-** अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी। प्रवेश, स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर होगा उपरोक्त की कंडिका (7) के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जावेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश, नियमित प्रवेश के रूप में मान्य होगा।

(IX) जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।

(X) **महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय को छ. ग. शासन द्वारा आदेश प्राप्त है कि ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।**

**3.06 विश्वविद्यालयीन नियम :**

1. **महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र/छात्राएं इस विश्वविद्यालय को छोड़कर यदि मध्यप्रदेश, छ. ग. अथवा मध्यप्रदेश के बाहर विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण होकर आते हैं, तो उन्हें प्रवेश देने के पूर्व विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा। इसी प्रकार यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल एवं सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 (बारहवीं) परीक्षा उत्तीर्ण को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा प्री-डिग्री यूनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों को भी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।**

2. पात्रता हेतु उन्हें अपने समस्त पूर्ववर्ती परीक्षाओं की अंकसूचियों की अभिप्रमाणित स्वच्छ फोटो प्रतियों, उपाधि प्रमाण-पत्र, प्रव्रंजन प्रमाण-पत्र की भी फोटो स्टेट प्रतियों को मूल प्रमाण-पत्रों के साथ विश्वविद्यालय भेजना होगा। उक्त आवश्यक काम-जात प्राप्त होने पर पात्रता हेतु फीस 40.00 (चालीस रुपये मात्र) जमा करना आवश्यक होगा तथा विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने पर

200.00 (दो सौ रूपये) विलंब शुल्क लगेग जो नियमित छात्रों के लिए प्रवेश की तिथि समाप्त होते ही तथा अमहाविद्यालयीन छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र जैसे ही विलंब शुल्क लागू होता है, उसी तिथि से विलंब शुल्क लागू हो जायेगा।

3. पात्रता प्रमाण पत्र देने हेतु विश्वविद्यालय को कम से कम तीन दिनों एवं कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिक समय लग सकता है। अतः यह सुझाव है कि वे अपना आवेदन समयानुसार विश्वविद्यालय में जमा करें।

4. **यदि छ. ग. के बाहर के विश्वविद्यालय की पार्ट परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इस विश्वविद्यालय की पार्ट परीक्षा में सम्मिलित होना हो तो आवेदक को उक्त विश्वविद्यालय का उक्त सत्र का पाठ्यक्रम भी संलग्न करना होगा ताकि परीक्षण कर प्रकरण निपटाने में आसानी हो सके।**

5. राष्ट्रीय ओपन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 परीक्षा (पांच विषयों में उत्तीर्ण) में उत्तीर्ण छात्र को त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्रता है।

6. रविशंकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्वशासी महाविद्यालय खंड परीक्षा उत्तीर्ण कर गैर स्वशासी महाविद्यालय में अगली कक्षा में प्रवेश की पात्रता है।

**3.07 प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-**

(क) प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार,अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित, स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

(ख) स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगा- उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित, एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्र।

(ग) किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

(घ) आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावेगा। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आस-पास के अन्य जिलों के समीपस्थ महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषंय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।

(इ) **गुणानुक्रमः-** उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के साथ देय अधिभार जोड़कर गुणानुक्रम निर्धारित होगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची बनाई जायेगी।

**3.08 आरक्षण :-**

शासन की आरक्षण नीति अनुरूप प्रवेश हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा :-

(क) अ. जा. एवं अ. ज. जा. के आवेदकों के क्रमशः 12% तथा 32% स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

(ख) पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के लिए 14% स्थान आरक्षित होंगे।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों एवं पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3% स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों के 10% अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

(घ) सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30% स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(च) आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पीटिशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा गया है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम से आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उप आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेग, शेष संवर्ग की सीटें भरी जावेंगी।

(छ) आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

(ज) प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र/छात्रायें उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

**3.09 संकाय/विषय/ग्रुप-परिवर्तन :-**

(क) महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलंब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जावेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

(ख) स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5% अंक घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारत किया जाएगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा।

**3.10 अधिभार :-**

अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जावेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद

में लाये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जावेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

**एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स (स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स) –**

(क) एन. एस. एस./एन. सी. सी. ए सर्टिफिकेट –2 प्रतिशत

(ख) एन. एस. एस./एन. सी. सी. बी सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स –3 प्रतिशत

(ग) एन. सी. सी. सी सर्टिपिखेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स –4 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन. सी. सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र को –4 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन. सी. सी./एन. एस. सी. कन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को –5 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट्स –5 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स –10 प्रतिशत

(झ) छ. ग. सर्वश्रेष्ठ एन. सी. सी. केडेट –10 प्रतिशत

(ङ) ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन. सी. सी. केडेट – 15 प्रतिशत

(ट) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रवास करने वाले केडेट को/अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए चयनित विद्यार्थी को –15 प्रतिशत

11.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर –10 प्रतिशत

**3.11 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगितायें**

1. लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ राज्य उच्च विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में-
   (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को –2 प्रतिशत
   (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को –4 प्रतिशत
2. म.प्र./छ. ग. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-
   (क) छ.ग./म.प्र. राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्तय को – 10 प्रतिशत
   (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ. ग. राज्य की टीम के सदस्यों को –12 प्रतिशत
3. उपरोक्त कंडिका 11.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित

क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को –6 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपरोक्त स्थान प्राप्त करने वालों को –7 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगियों को –5 प्रतिशत

भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले को –15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान अर्जित करने वाले टीम के सदस्य को –12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को –10 प्रतिशत

4. भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक कला में चयनित एवं प्रवेश करने वाले दल के सदस्यों को –10 प्रतिशत

4.01 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को

5. **विशेष प्रोत्साहन–**

अ. जिसने ओलम्पिक/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, उन्हें बगैर गुणानुक्रम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा।जिसकी उन्हें पात्रता होगी परन्तु इस प्रकार की सुविधा को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें उपर्युक्त उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

ब. जिसने भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित खेलकूद प्रतियोगिता एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर आंचलिक खेलकूद प्रतियोगितामें भाग लेने वालों को नियम अनुसार उनके द्वारा अंतिम परीक्षा में प्राप्तांकों का निम्नलिखित प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा :-

| | | |
|---|---|---|
| क. | गोल्ड मेडलिस्ट/प्रथम स्थान प्राप्त होने वाले को | 20 प्रतिशत |
| ख. | रजत मेडल/द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को | 15 प्रतिशत |
| ग. | ब्रांउस मेडल/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को | 12 प्रतिशत |
| घ. | केवल भाग लेने वालों को | 10 प्रतिशत |
| ड. | अंकों के अधिभार | 10 प्रतिशत |

अंकों का अधिभार केवल एक ही आयटम के लिये देय होगा। प्राप्तांकों का अधिभार केवल उन्हीं खिलाड़ियों को देय होगा जो विश्वविालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं रखते हैं।

च. भारतीय खेल प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा भोपाल में स्थापित छात्रावास में प्रवेश प्राप्त अभ्यार्थी को 15 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।

छ. महाविद्यालय के कला व वाणिज्य संकाय की वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र/छात्राओं को श्री देवी प्रसाद चौबे स्मृति स्वर्ण पदक उनके पुत्र माननीय श्री रविन्द्र चौबे नेता द्वारा इस वर्ष से नियमित दिया जायेगा।

**संकाय परिवर्तन –**

अ. यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातक प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय परिवर्तन कर प्रवेश चाहे तो उसके प्राप्तांकों में से 5 प्रतिशत घटाकर गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा। कला संकाय के छात्र को ये सुविधा नहीं होगी।

ब. छ. ग. बोर्ड ऑफ टेकनिकल एजूकेशन रायपुर की पोलिटेकनिक डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को त्रिवर्षीय स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम 10+2+3 के अंतर्गत प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

स. कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रथम वर्ष में किसीभीसंकाय को 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकता है।

**शुल्क के मद एवं दरें–**

महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले छा-छात्राओं को महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयीन दो प्रकार के शुल्क देने होंगे इनशुल्कों कीदरों निम्नांकित है :–

अ. महाविद्यालयीन शुल्क –

| | | |
|---|---|---|
| शासकीय शुल्क | 1. प्रवेश शुल्क | 3.00 |
| | 2. स्टेशनरी शुल्क | 2.00 |
| अशास. शुल्क | 1. छात्र संघ शुल्क | 2.00 |
| | 2. निर्धन छात्र सहायता कोष | 5.00 |
| | 3. परिचय पत्र | 10.00 |
| | 4. महाविद्यालयीन विकास शुल्क | 25.00 |
| | 5. सम्मिलित निधि | 32.00 |
| | 6. स्नेह सम्मेलन | 5.00 |
| | 7. विश्वविद्यालयीन क्रीड़ा शुल्क | 150.00 |
| | 8. विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क | 100.00 |
| | 9. विभागीय पुस्तक शुल्क (स्नाको. हेतु) | 15.00 |
| | 10. सायकल स्टेंड शुल्क | 6.00 |
| | 11. वाचनालय शुल्क | 20.00 |
| | 12.चिकित्सा शुल्क | 3.00 |

**सुरक्षा निधि –**

प्रत्येक विद्यार्थी को निम्न दरों पर सुरक्षा निधि प्रथम प्रवेश के साथ जमा करनी होगी। महाविद्यालय छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पश्चात इसे लौटा दिया जावेगा।

| | |
|---|---|
| स्नातक | रू. 60.00 |
| स्नातकोत्तर | रू. 100.00 |

**शिक्षण शुल्क –**

महाविद्यालय का शिक्षण शुल्क निम्नानुसार है:–

स्नातक स्तर तक 115.00 रू.

1. सभी प्रकार के शुल्कों में छत्तीसगढ़ शासन एवं रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

2. प्रत्येक छात्र को प्रवेश मिलने पर शैक्षणिक शुल्क सम्पूर्ण सत्र के लिये जमा करना अनिवार्य है। महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि या महाविद्यालय छोड़ने की तिथि से इसका कोई संबंध नहीं है। केवल छत्तीसगढ़ की किसी भी शासकीय संस्था से स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश होने की अवस्था में जितनी अवधि की छात्र शिक्षण शुल्क जमा कर चुका है वह शुल्क पुनः नहीं देना होगी। ऐसे छात्र को पिछले महाविद्यालय में शुल्क का भुगतान करने संबंधी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।

**5.02 शुल्क एवं रियायतें :-**

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त किया गया है। किन्तु अन्य समस्त शुल्क उन्हें देने होंगे। उक्त छूट हेतु उन्हें जाति विषयक प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त है। यह छूट प्राप्त करने के पूर्व संबंधित छात्र/छात्रा को जिस कार्यालय में उनके माता/पिता सेवारत हों, तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. यदि दो या अधिक भाई-बहन इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते हैं तो उनमें बड़े को पूर्ण शुल्क और शेष का आधा शुल्क देना होगा।
4. महाविद्यालय की छात्राओं को शिक्षण शुल्क के भुगतान से पूर्णतः छूट दी गई है।

**5.03 अमानत राशि, सुरक्षा निधि प्राप्त करने के लिए नियम :-**

1. महाविद्यालय को छोड़ने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात जमा सुरक्षा निधि देय होगी।
2. अमानत राशि निकालने के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10 दिनों पूर्व जमा करें।
3. परिचय-पत्र एवं प्रवेश-पत्र की फोटो कॉपी के बिना धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
4. अमानत राशि का भुगतान सामान्यतः सप्ताह में दो दिन ही किया जावेगा।
5. छात्र/छात्राओं द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के 3 वर्ष के अंदर धरोहर राशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन देना होगा। 3 वर्ष के पश्चात शासन के आदेशानुसार धरोहर राशि वापस नहीं की जावेगी।

**नोट :- शुल्क के संबंध में यदि शासन से संशोधित नियम प्राप्त होते हैं तो उन्हें पृथक से सूचित किय जावेगा।**

## 6.00 परिचय पत्र एवं उपयोग

प्रवेश के पश्चात् प्रत्येक छात्र-छात्रा को एक परिचय पत्र दिया जावेगा। छात्र-छात्रा को महाविद्याल में हमेशा यह परिचय पत्र अपने पास रखना होगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा मांगने पर अनिव रूप से प्रस्तुत करना होगा। मांगे जाने पर परिचय पत्र प्रस्तुत न किये जाने की अवस्था में छ छात्रा को किसी भी शिक्षक के द्वारा कक्षा अथवा महाविद्यालय समारोह में सम्मिलित होने से जा सकता है। परिचय पत्र के लिए आवश्यक एक पासपोर्ट आकार के फोटो छात्र-छात्राओ प्रवेश के समय जमा करना होगा। परिचय पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित छात्र-छा

पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गमित की जा सकती है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र अथवा सुरक्षा निधि की वापसी के समय भी परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में छात्र-छात्रा को रू. 10.00 शुल्क जमा करके परिचय पत्र की दूसरी (डुप्लीकेट) प्रति प्राप्त करनी होगी।

**7.00 अनुशासन :-**

इस महाविद्यालय का अनुशासन हमेशा सराहनीय रहा है। ऐसी आशा की जाती है कि इस परंपरा का भविष्य में भी निर्वाह होता रहेगा। विद्यार्थी का आचरण तथा व्यवहार अपने सहपाठियों, कर्मचारियों और प्राध्यापकों के साथ अच्छा रहेगा, ऐसी अपेक्षा की जाती है। महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता एक गंभीर तथा दण्डनीय अपराध मानी जावेगी। विद्यार्थी से विनम्र एवं अनुशासित रहने की अपेक्षा के साथ ही उसके लिये कक्षाओं में सभी विषयों में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वे महाविद्यालय परिवार में किसी प्रकार की अभद्रता नहीं करेंगे। अन्यथा ऐसे मामले में उनके पालक को सूचित कर उसे महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकेगा। ऐसी किसी भी विवाद में प्राचार्य महोदय का निर्णय अंतिम होगा। विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में बाहर अपने व्यवहार द्वारा महाविद्यालय की प्रतिष्ठा बनायें रखेंगे तथा महाविद्यालय परिसर में नियमों एवं आचरण संहिता का पालन कर्तव्यनिष्ठा के साथ करेंगे।

**7.01 अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालयीन अधिनियम :-**

म. प्र. विश्वविद्यालयीन नियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमाक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के ऐसे छात्र-छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये प्राचार्य सक्षम है जो महाविद्यालय में या बाहर अनुशासन भंग करते हैं। अनुशासनहीनता के लिये उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दंड का प्रावधान है -

1. निलंबन
2. निष्कासन
3. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना
4. रेस्टिगेशन।

**7.02 छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001 :-**

शैक्षणिक संस्था का विद्यार्थी प्रत्यक्षत: या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा। यदि कोई विद्यार्थी इसका उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग के लिये दुष्प्रेरित करता है तो उसे 5 वर्ष तक का कारावास या पांच हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जावेगा एवं उसे राज्य के अन्य शैक्षणिक संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

## 8.00 महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं :-

छात्र-छात्राओं को अधिकाधिक सुविधाओं की उपलब्ध हेतु महाविद्यालय निम्नांकित सुविधाएं हैं-

1. **सूचना एवं मार्गदशन केन्द्र :-** प्राचार्य द्वारा मनोनीति प्राध्यापकों/ग्रंथपाल के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों की मानसिक व शारीरिक क्षमता के अनुरूप उचित पथ प्रदर्शन, रोजगार के अवसर विभिन

सेवाओं में रिक्त पदों की सूचना देने हेतु यह बोर्ड कार्य करता है।

2. **पुस्तकालय :–** महाविद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा अध्ययन की दृष्टि से उपलब्ध है। परिचय पत्र के आधार पर प्रति छात्र दो पुस्तकें निर्गमित करवा सकता है।

समस्त विषयों के औपचारिक अध्ययन के अलावा छात्रों को, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, प्रतियोगी पत्रिकाएं, दैनिक समाचार पत्र, रोजगार समाचार एवं रोजगार नियोजन का लाभ वाचनालय के द्वारा प्राप्त होता है।

3. **पुस्तकालय के सामान्य नियम :–**

1. स्नातक कक्षा के छात्र एक समय में पुस्तकालय से 14 दिन की अवधि के लिए 01 पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित दिन एवं समयानुसार ही पुस्तकालय से पुस्तकों का लेन-देन करना होगा।
2. स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र अपने विभागीय पुस्तकालय से 14 दिन की अवधि के लिये पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि के पश्चात पुस्तकें वापस नहीं करने वालों को विलंब के प्रतिदिन प्रति पुस्तक की दर से अर्थदण्ड देना होगा।
3. छात्रों को चाहिए कि पुस्तकें निर्गमित कराते समय वे पुस्तकों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर लें और पुस्तकों के पृष्ट कटे-फटे या कोई पृष्ठ न होने पर ग्रंथपाल को तत्काल सूचित कर उनके हस्ताक्षर करवा लें।
4. पुस्तकालय की पुस्तकों में लिखना/रेखांकित करना/पृष्ठ निकालना या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना दण्डनीय है।
5. पुस्तकालय से निर्गमित पुस्तकों को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व वापस किया जाना आवश्यक होता है किन्तु जिन छात्रों को पुस्तकें नहीं लौटानी हो वे अवधान राशि एवं तत्संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पुस्तकें परीक्षा समाप्ति तक अपने पास रख सकते हैं। अवधान राशि पुस्तकें जमा करने पर वापस लौटा दी जावेगी।
6. छात्र-छात्राओं को यह सुझाव दिया जाता है कि पुस्तकालय के सभी नियमों एवं सूचनाओं से स्वत: अवगत होते रहें।

### 8.01 बुक बैंक योजना

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निर्धन छात्र,निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर अध्ययन हेतु पुस्तकें प्राप्त कर लाभान्वित होते हैं।

### 8.02 स्वास्थ्य – परीक्षण

महाविद्यालय के नियमित छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण समय-समय पर किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग आदि के सहयोग से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में विभिन्न गतिविधियों का निष्पादन महाविद्यालय करता है।

9.00 भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय –

महाविद्यालय में उपलब्ध होने वाली छात्रवृत्तियों का विवरण :-

| क्र. | छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति | अवधि | वार्षिक दर | योग्यता | न्यूनतम आय |
|---|---|---|---|---|---|
| | **(क) भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय :–** | | | | |
| 1. | राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति स्नातक गैर छात्रावासी रू. 720/– से कम | 3 वर्ष | 650/– | हा. से. उ. 50% | माता/पिता की वार्षिक आय 6000/– |
| 2. | प्राथमिक एवं मा. शालाओं के शिक्षक गैर छात्रा के के बच्चों को रा. छात्रवृत्ति | 3 वर्ष | 650/– | हा. से. उ. 60% | माता/पिता की वार्षिक आय 6000/– से कम |
| | **(ख) छ. ग. शासन शिक्षा विभाग :–** | | | | |
| 1. | स्नातक उपाधि छात्रवृत्ति | 3 वर्ष | गै. छात्रा 500/– छात्रावासी 600/– | हा. से. पास 60% | आय बंधन नहीं है |
| 2. | स्नातक योग्यता एवं साधन शिष्यवृत्ति | 3 वर्ष | गै. छात्रा 500/– छात्रावासी 600/– | हा. से. पास 60% | अधिकतम वार्षिक आय 6000/– |
| | **छात्रवृत्तियां –** | | | | |
| 3. | गायन तथा वादन नृत्य | 2 वर्ष | 1000/– | हा. से. पास | आय का बंधन नहीं |
| 4. | खेलकूद छात्रवृत्ति | 1 वर्ष | 500/– | | वि.वि. खेल-कूद समारोह में किए गए प्रदर्शन व योग्यता के आधार पर |
| 5. | राष्ट्रीय छात्र सेना शिविर छात्रवृत्ति | 1 वर्ष | 500/– | राष्ट्रीय छात्र सेना के वार्षिक शिविर में दिखाई गई योग्यता के आधार पर। | |
| 6. | मृत शासकीय या विकलांग कर्मचारियों के बच्चों को | 2 वर्ष | 500/– | पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण | अधिकतम वार्षिक आय 5000/– |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | विशेष 3 वर्ष शिष्यवृत्ति स्नातक | | 750/- | पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण | अधिकतम वार्षिक आय 6000/- |
| 8. | मृत सैनिकों के बच्चों को मिलने वाली शिष्यवृत्ति | | गै. छात्रा 650/- छात्रा. 1000/- | पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण | अधिकतम वार्षिक आय 6000/- |
| 9. | डाकुओं तथा डाकुओं द्वारा मारे गये लोगों के बच्चों को विशेष शिष्यवृत्ति | 3 वर्ष | गै. छात्रा 500/- | | अधिकतम वार्षिक आयु 6000/- |
| | | | छात्रावासी 750/- | | 6000/- |
| | | 2 वर्ष | गैर छात्रा 750/- छात्रावासी 1000/- | | |
| 10. | निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर विशेष छात्रावासी तथा एकमुश्त अनुदान | **छ. ग. शासन एकीकृत छात्रवृत्ति नियम पुनरीक्षित के नियमों के लपलब्धों न आने वाले विशेष मामलों में छ. ग. स्थित महाविद्यालयों में अध्ययनरत योग्य छात्रों को योग्यता तथा निर्धनता के आधार पर प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित दर से विशेष छात्रवृत्तियां या एकमुश्त अनुदान दिया जावेगा।** | | | |
| 11. | पितृहीन कन्याओं के लिए छात्रवृत्तियां का प्रावधान | 3 वर्ष | 7000/- | | |
| 12. | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति। | | | | |
| 13. | बी. पी. एल. छात्रवृत्ति। | | | | |

**नोटः-** 1. अपूर्ण या गलत प्रपत्र अथवा अंतिम तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। 2. उपरोक्त नियमों, आय पात्रता-आधार संबंधी शर्तो, वार्षिक दर में शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय सूचना फलक मे लगा दिया जाएगा। 3. छात्र के पालक की आय मूल वेतन को मानी जायेगी। 4. यदि विद्यार्थ विगत वर्ष से छात्रवृत्ति या शिष्यवृत्ति प्राप्त कर रहा हो तो उसे नवीनीकरण हेतु कार्यालय में प्रप लेकर जुलाई माह में फिर से आवेदन करना होगा। नवीनीकरण का आधार पिछली कक्षा में उत्ती होना आवश्यक है।

## 11.00 पाठ्येत्तर गतिविधियां :-

### 11.01 छात्रसंघ :-

शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशन एवं नियमानुसार छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए छात्रसंघ का गठन किया जाता है। यह संघ पूर्णतया प्राचार्य के मार्गदर्शन में कार्य करता है। छात्रसंघ का महाविद्यालयीन विकास, व्यक्तित्व विकास, अध्ययन, शैक्षणेत्तर गतिविधियों में सक्रिय योगदान रहता है।

### 11.02 खेलकूद :-

छात्र-छात्राओं की बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य से इस महाविद्यालय में खेलकूद की समुचित व्यवस्था की गई है।

महाविद्यालय में एक क्रीड़ा समिति गठित की जाती है, जिसके माध्यम से खेलकूद से संबंधित समस्त गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन एवं नियंत्रण होता है। महाविद्यालय में खेलकूद सबंधी सुविधाओं में 'इनडोर' एवं 'आउटडोर' दोनों प्रकार के खेलों की सुविधा है। <u>आउटडोर-</u> क्रिकेट, बैटमिंटन, व्हालीबॉल, खो-खो, एथलेटिक्स।

### 11.03 राष्ट्रीय सेवा योजना –

छात्र-छात्राओं को कर्म के प्रति निष्ठा, समाजसेवा, जन-कल्याण, चरित्र निर्माण की भावनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) की इकाई संचालित हैं। इस योजना के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ समाजसेवा का अवसर प्राप्त होता है। महाविद्यालय में 100 छात्रों की एक इकाई संचालित है। विद्यार्थी रचनात्मक सामाजिक कार्यों में भाग लेता है। समाज के नागरिकों विशेषकर ग्रामवासियों के सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागृत करना होता है। सामाजिक बुराई अशिक्षा, अस्वच्छता, अस्पृश्यता, अंधविश्वास आदि के निराकरण में छात्र की सृजनात्मक शक्ति विकसित होती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत होने वाले स्वयंसेवकों को उनकी नियमित गतिविधि के रूप में प्रतिवर्ष 120 घंटे समाज कल्याण कार्यों में भाग लेना आवश्यक होता है। रासेयो स्वयं सेवक को विशेष प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत 7 दिवसीय का शिविर में भाग लेना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 'बी' एवं 'सी' प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं।

### 11.04 साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियां :-

औपचारिक शिक्षण के अलावा, छात्रों की सृजनात्मक प्रतिभाओं को विकसित करने के उद्देश्य से-

(1) निबंध, तात्कालिक भाषण, प्रश्न-मंच।

(2) केशसज्जा, रंगोली, मेंहदी, पुष्प, सलाद सज्जा, छत्तीसगढ़ व्यंजन स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। वार्षिक सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। गायन, वादन, नृत्य, अभिनय कलाओं का सफल प्रदर्शन स्नेह-सम्मेलन के मंच पर होता है।

## 12.00 महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. छात्रों को समय-सीमा में शुल्क का भुगतान करना होगा।
2. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
3. यदि विद्यार्थी रैगिंग में लिया पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
4. यदि छात्र किसी गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।

## 13.00 आंतरिक परीक्षा संबंधी नियमः-

(क) विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

(ख) अस्वस्थततावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा होगी।

(ग) परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न दुराचरण माना जायेगा।

## 14.00 छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में छात्रों के लिये आचरण संहिताः-

**सामान्य नियम :-**

1. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी भाग लेना आवश्यक है।
2. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
3. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
4. महाविद्यालय परिसर में शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
5. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन वर्जित रहेगा।

6. महाविद्याल परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है।

7. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा। तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

8. महाविद्यालय की दीवारी, कोनों अथवा परिसर में थूकना, दीवारों को गंदा करना, गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी को असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।

9. रैगिंग करते किसी भी छात्र/छात्रा को पाया गया तो आरक्षी केन्द्र में एफ. आई. आर. दर्ज कराई जायेगी।

**10. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।**

## 15.00 अध्ययन संबंधी नियम :-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ-सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों को पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समयसे न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखें, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फीटिंग आदि को तोड़-फोट करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

## 16.00 छात्र/छात्राओं के लिए विशेष सूचना :-

1. महाविद्यालय में प्रथम प्रवेश की प्रथम शुल्क रसीद संभालकर रखें.
2. विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र अनिवार्य रूप से अपने पास रखना होगा एवं समय-समय पर प्राध्यापकों द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।
3. कक्षाओं में अध्यापन के समय इधर-उधर घूमना तथा अध्ययन-अध्यापन में किसी भी तरह बाधा पहुंचाना अनुशासनहीनता मानी जाएगी।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने सहपाठियों और प्राध्यापकों से शिष्टतापूर्वक व्यवहार करेगा।
5. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।
6. दोषी छात्र दंड के भागी होंगे। अर्थदण्ड, कक्षा से निष्कासन या अन्य दण्ड से दंडित किया जा सकता है।
7. विद्यार्थियों के क्रिया-कलापों के संबंध में इनके पालकों को बुलाया जा सकेगा या सूचित किया जा सकेगा।

## 17.00 आवश्यक सूचनाएं :-

1. प्रवेश हेतु प्रत्येक कक्षा के लिए अंतिम तिथि के उपरान्त आवेदन स्वीकृत नहीं होंगे।
2. प्रविष्ट विद्यार्थी की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। कम उपस्थिति होने पर महाविद्यालय से नाम निरस्त कर दिया जावेगा या नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
3. महाविद्यालय आचरण संहिता के विरूद्ध आचरण करने पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
4. शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में संशोधन होने पर नवीन नियमों के अनुसार प्रवेश होगा।

## 18.00 विशेष :-

1. जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों शासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
2. प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
3. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
4. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्पादन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
5. इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

## 19.00 नियमित विद्यार्थियों के रूप में विश्वविद्यालयीन परीक्षा में बैठने की पात्रता :-

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. आंतरिक परीक्षाओं में त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. एन.एस.एस./खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जाएगा।
4. उपस्थिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जाएगी।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उसके पालकों को सूचना दी जाएगी।
6. उपस्थिति की द्वितीय गणना 17.02.2021 तक की जायेगी।

## 20.00 अध्ययन संबंधी नियम :-

1. विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी तथा एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्य उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनका स्वच्छ रखेगा एवं

प्रयोगशाला को साफ-सुथरा रखेगा।

3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।

4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।

5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फीटिंग आदि को तोड़-फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

## 21.00 आवश्यक सूचनाएं :-

1. प्रवेश हेतु प्रत्येक कक्षा के लिए अंतिम तिथि के उपरान्त आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
2. प्रविष्ट विद्यार्थी की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। कम उपस्थिति होने पर महाविद्यालय से नाम निरस्त कर दिया जावेगा या नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
3. महाविद्यालय आचरण संहिता के विरूद्ध आचरण करने पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
4. शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में संशोधन होने पर नवीन नियमों के अनुसार प्रवेश होगा।

## 22.00 सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 :-

शासन के कार्यों में पारदर्शिता लाने व जनसामान्य की सुविधाओं और हक को ध्यान में रखते हुए 12 अकूटबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया-

अब कोई भी व्यक्ति किसी शासकीय या अर्द्धशासकीय कार्यालयों से जानकारी मांग सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में 10 रूपये शुल्क आवेदन के साथ पटाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रति पेज जानकारी के लिए दो रूपये नगद, सी. डी. या फ्लॉपी प्राप्त करने के लिए 50/- शुल्क है। आवेदन शुल्क नगद, मनीआर्डर, बेंक चालान अथवा नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प द्वारा भर सकते हैं। गरीबीरेखा कार्डधारियों के लिए यह शुल्क नहीं लगता। मॉगी गई जानकारी 30 दिनों के भीतर कार्यालय के जनसूचना अधिकारी द्वारा दी जायेगी। जनसूचना अधिकारी महाविद्यालय के प्राचार्य होंगे।

## 23.00 छ. ग. लोक सूचना गारंटी अधिनियम 2012 :-

छ. ग. लोक सूचना गारंटी अधिनियम महाविद्यालय के सूचना पटल पर विस्तृत जानकारी दर्शायी गयी है।

**रैगिंग के अंतर्गत**

## रैगिंग क्या है?

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं

अनुशासनहीन क्रिया-कलापों में संलग्न जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षथि हो, अथवा छात्रों को कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो, अथवा जीवन के लिए खतरा हो।

**छत्तीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम अधिनियम 2002**

**कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1893 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1, 1995), अनुच्छेद 2 (2() के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :-**

किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव-मर्यादा के लिए प्रतिकूल हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा-धमकाकर गलत ढंग से रोककर गलत ढंग से बंद करके चोट पहुंचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दण्ड भय दिखा कर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रैगिंग का स्वरूप :-

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पाई जाती है:-

**स्पष्ट आदेश**

- सीनियर छात्रों का 'सर' कहने के लिए बाध्य करना।
- सामूहिक कवायद करने के लिए।
- सीनियरों के क्लास-नोट्स उतारने के लिए।
- अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए।
- सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए।
- अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए।
- नये छात्रों को अपने सीधे पन से विपरीत आघात पहुंचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए।
- शराब, उबलती हुई चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना।
- कामुक संकेतार्थ वाले कार्य समलैगिंक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना।
- ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा, या मृत्यु तक हो सकती है।
- नंगा करना, चुंबन लेना आदि।
- अन्य अश्लीलताएं करना।

उपर्युक्त ये यह विदित होता है कि प्रथम पांच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों युक्त है।

**रैगिंग में लिप्त होने पर दिए जाने वाले दंड**

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा-परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।
8. आर्थिक दण्ड रू. 25000/- तक।

**रैगिंग का नियम :-**

संस्थाध्यक्ष द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

1. रैगिंग विरोधी दल अथवा संबंधित किसी के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो व स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से संबंधित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अंतर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं।
2. रैगिंग हेतु उकसाना।
3. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र।
4. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पाद करना।
5. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना।
6. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना।
7. शरीर को चोट पहुंचाना।
8. गलत ढंग से रोकना।
9. आपराधिक बल प्रयोग।
10. प्रहार करना, मौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध।
11. बलात् गहन।
12. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना।
13. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध।
14. आपराधिक धमकी।
15. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना।
16. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरूद्ध करने हेतु धमकाना।
17. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना।

18. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध।

रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध यह भी उल्लेख किया जाता है। संस्थाध्यक्ष रैगिंग की घटना की सूचना तुरन्त जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति ता सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को दें।

यह भी उल्लेख किया जाता कि संस्था इन विनियम के खण्ड 9 के अधीन अपनी जांच और उपाय पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बिना प्रारंभ कर दे और घटना के एक सप्ताह के भीतर औपचारिक कार्रवाई पूरी कर ली जाए।

## रैगिंग

**कंडिका – 9**

**रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई –**

9.1 किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

क रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के संबंध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गंभीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल हेतु अपनी संस्तुति देगा।

ख रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए निम्नलिखित में कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।

1. कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारों से निलम्बन।
2. छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना।
3. किसी टैस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना।
4. परीक्षाफल रोकना।
5. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।
6. छात्रावास से निष्कासित करना।